छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-18

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017

(चैत्र 6, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित एवं 43 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने त्रिवर्षीय चिकित्सा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम एवं चिकित्सकों पर छापे मारने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज जो स्थगन आया है इसी विषय पर पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया गया है और उस समय आसंदी ने यह व्यवस्था दी थी, ये आश्वस्त किया था कि इस पर किसी न किसी रूप में सदन में चर्चा करायी जायेगी। उसके पश्चात् ध्यानाकर्षण की सूचनाएं मेरे द्वारा ग्राह्य कर ली गईं हैं। मैं इस विषय पर ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव सदन में लूंगा । आज प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को मैंने उक्त परिप्रेक्ष्य मे कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -
- (i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-5/आठ/परि./2016, दिनांक 8 अगस्त 2016
- (ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ/परि./2016, दिनांक 20 अक्टूबर 2015,

(2) श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2016, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016,

(3) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014, तथा

(4) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री दीपक बैज, संतराम नेताम, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचालित मॉडल स्कूलों का निजीकरण कर फीस बढ़ोत्तरी किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

6. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री भोजराज नाग, सदस्य ने अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजपुर व्यपवर्तन योजना में मुख्य नहर के निर्माण में विलंब तथा किसानों के पुनर्स्थापन एवं मुआवजा का निर्धारण नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2016)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

			निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017)	-	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)	-	1 घंटा
(3)	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017)	-	1 घंटा
(4)	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)	-	30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017)	-	30 मिनट

10. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री दयालदास बघेल, पर्यटन मंत्री ने पर्यटन विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 30 में संशोधन प्रस्तुत किया ।

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री दयाल दास बघेल, सहकारिता मंत्री ने सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 26 एवं पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-17 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, दलेश्वर साहू मांग संख्या-26 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम मांग संख्या-37 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, सियाराम कौशिक, बघेल लखेश्वर, अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री दिलीप लहरिया, (डॉ.) खिलावन साहू, दीपक बैज, (डॉ.) सनम जांगड़े, दलेश्वर साहू, मोहन मरकाम, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

12. उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज सायं 7.30 बजे विधान सभा परिसर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है।

उक्त समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उत्कृष्ट विधायकों, पत्रकारों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर को अलंकृत किया जायेगा।

समारोह पश्चात् संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक बैण्ड "आरूग" की प्रस्तुति पद्मश्री श्री अनुज शर्मा एवं अन्य कलाकारों के द्वारा दी जाएगी जिसके डायरेक्ट टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की जा रही है।

13. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31 एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-39 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, बघेल लखेश्वर, डॉ. प्रीतम राम मांग संख्या-56 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, मोतीलाल देवांगन, शंकर ध्रुवा मांग संख्या-31 पर सर्वश्री दीपक बैज, मोहन मरकाम सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, मोतीलाल देवांगन (जारी)

सायं 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 (चैत्र-7, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा